रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 1978/वैशाख 29, 1900
No. 95] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 1978/VAISAKHA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 28-ई०टी०सी०(पी०एन०)/78

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : अप्रैल 1978 मार्च, 1979 अवधि के लिए लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति।

मि० सं० 6/1/78-ई० आई० :—ई०(सी०)ओ० 1977 की अनुसूची 1 के भाग क की क्रम सं० 33 और भाग "ख" की क्रम सं० 60 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। लकड़ी और इमारती लकड़ी के निर्यात का नियमन निम्नलिखित कंडिकाओं में निर्दिष्ट विधि से किया जाएगा :—

2. लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषाए अपनाई जाएंगी :—

(i) इमारती लकड़ी का अर्थ है ठूंठ सहित कुन्दे, अपरिष्कृत वर्गाकार या गोलाकार ;

(ii) ठूंठ का अर्थ है पेड़ का आधार और गिरने के पश्चात् भूमि पर बची हुई जड़े।

(iii) चिरी हुई इमारती लकड़ी का अर्थ है शहतीर तख्ते रीपर्स, कड़ियां, बाड़-खुटे या खम्बे, इमारती लकड़ी से तैयार किए हुए स्लीपर्स और कड़ियां चाहे पकी हुई हो या न हो किन्तु गोलाकार या समतल की हुई हों और भारतीय मानक विशिष्टिकरण सं० 707—1976 मे यथा-निर्धारित उनके चीरने की विधि किसी भी प्रकार की हो;

(iv) परिष्कृत इमारती लकड़ी मे पृष्ठावरण या पृष्ठावरण आधारित उत्पाद शामिल होंगे अर्थात् प्लाईवुड, चिप बोर्ड, फाइबरबोर्ड। पृष्ठावरण, खंडित, छिली हुई या चिरी हुई इमारती लकड़ी की अधिक से अधिक 6 मि० मी० मोटाई की शीटों के रूप परिभाषित किया गया है। अन्य परिष्कृत इमारती लकड़ी में स्टैन्डर्ड दरवाजों और खिड़कियों के चौखटे और फर्नीचर के टूटे हुए भाग भी शामिल होंगे।

(v) बर पेड़ पर आघात द्वारा या कीट द्वारा फंगल संक्रामण से पेड़ के आधार पर या पेड़ के तने पर किए गए उभार हैं।

3. निर्यात के उद्देश्य के लिए इमारती लकड़ी का अर्थ होगा जिस का मिडगर्थ या पेरिमीटर 90 सें० मी० से कम न हो और लम्बाई एक मीटर या इससे अधिक हो।

सख्त लकड़ी

3.1 निम्नलिखित किस्मों के निर्यात की अनुमति पोत-परिवहन बिलों/स्थल सीमा-शुल्क परिशिष्टों के प्रस्तुतीकरण पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस पृष्ठांकन करके निर्बाध रूप से दी जाएगी :—

क्रम संख्या	इमारती लकड़ी की किस्में
ट्रेड नाम	वानस्पतिक नाम
1	2
1. असन	टरमिनेलिया टोमेन्टोस
2. अइनी	आर्टोकारपस हिरसुटा
3. बेलापाइन	वेटाइरा इन्डीका
4. बेन्टीक	लार्जरस्ट्रोमिया लंकाओलेटा
5. बिसल	टेरोकार्पस मार्सुपियन

1	2
6. बर्च	बेटिला एसपीपी
7. बर्ड चेरी	पृनस पेडम
8. मोला	मोरस लेबिगेट
9. चम्प	मिचेलिया एसपीपी
10. चपलाश	एट्रोकार्पस चपलास
11. हल्दू	एडिना कोर्डियोलिया
12. दरुल	एकजोलिया एक्जिलोकार्पा
13. कासी	ब्रिडेलिया रेतुसा
14. किकू	अल्बीजिया-लेबक
15. कुम्बी	कारेया आर्बोरिया
16. लाली	अमूरा वालिची
17. मकई	शोरिया असमिका
18. मैपल	असर एसपीपी (बर और स्टम्प को छोड़कर)
19. रोडोडेन्ड्रन	रोडोडेन्ड्रन एसपीपी
20 —	हिमालयी क्षेत्र में शीतोष्ण और और सब-स्पिलिन हार्डवुड एसपीपी
21. सफेद सिडार	डिसोक्सिलम मलाबारिकम
22. यव	टेक्सस बैकाटा

3.2 रोजवुड (कुन्दों और चिरी हुई साइजों में) :—

नीति की घोषणा पहले ही कर दी गई है।

3.3 डिपट्रोकारस (गुरजियम) :—

अण्डमान और निकोबार में उत्पन्न होने वाले काष्ठ का लट्ठे के रूप में निर्यात की अनुमति तभी दी जाएगी जब अण्डमान और निकोबार का मुख्य अरण्य संरक्षक यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे देता है कि निर्यात किए जाने वाले लट्ठे अधिक बचे हुए है और द्वीप एवं मुख्य भूमि पर स्थापित गुरजन पर आधारित उद्योगों के लिए उपयोग से नहीं लाया जाएगा।

3.4 अखरोट (जगलन्स रीजिआ) :

बर्स और स्टम्पस को छोड़कर अखरोट की लकड़ी के कुन्दे (जगलन्स रीजिआ) के निर्यात की अनुमति तब दी जाएगी जब सम्बद्ध मुख्य अरण्य संरक्षक से इस आशय का "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत किया जाता है कि स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद भी निर्यात की जाने वाली मात्रा अधिक बच जाती है।

3.5 रैड सेन्डर्स (टरोकारपस सान्टानिलस)

1.000 क्यूबिक मीटर की अधिकतम सीमा के अन्दर "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर और उद्‌गम प्रमाण-पत्र* प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति होगी। लेकिन रैड सैन्डर्स पाउडर का निर्यात पोतलदान बिल/भूमि सीमा शुल्क अनुबन्ध के प्रस्तुतीकरण पर बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबंध के क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से अनुमेय होगा।

3.6 चन्दन काष्ठ :

1.000 क्यूबिक मीटर की अधिकतम सीमा के अन्दर "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर निर्यात की अनुमति होगी। लेकिन, चन्दन काष्ठ चिप्स एवं पाउडर का निर्यात पोतलदान बिल/भूमि सीमा शुल्क अनुक्रम के प्रस्तुतीकरण पर बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध के क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से अनुमेय होगा।

टिप्पणी : सम्बद्ध ("उद्‌गम प्रमाण-पत्र" अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र" पर राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के मुख्य अरण्य द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा उसकी सरकारी मुद्रा सहित हस्ताक्षरित करवाया जाए जो कि अरण्य विभाग में हो और विशिष्ट प्रेषण पर लागू होने वाले सम्बद्ध राज्य या केन्द्रीय संविधि के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हो। यह प्रमाण-पत्र (जारी करने वाले) राज्य या संघ शासित प्रदेश के सरकारी नियम एवं क्रियाविधि के अधीन सामान्यतया निर्धारित पपत्र में होना चाहिए।

4. चीरी हुई इमारती लकड़ी

4.1 300 वर्ग सें० मीटर से अधिक क्रौस सेक्शनल डायमेन्शन वाले चीरे हुए काष्ठ के निर्यात की अनुमति नहीं होगी।

4.2 निम्नलिखित प्रजाति के किसी भी चीरे हुए काष्ठ के निर्यात की अनुमति नहीं होगी चाहे उसका क्रास सेक्शनल डायमेन्शन कुछ भी हो :—

(1) एकर एसपीपी (मैपल) के चीरे हुए बर एवं स्टम्प;

(2) बम्बेक्स मालाबेरिकम (सेमल);

(3) मोरस एस० पी० पी० (मलबरी), और

(4) टर्मिनालिया माइक्रोकार्पा (होल्लोक)।

4.3 निम्नलिखित जाति की चिरी हुई इमारती लकड़ी का निर्यात प्रत्येक के सामने बताए गए के अनुसार विनियमित किया जाएगा :—

(1) सागौन की लकड़ी-नीति अलग से घोषित की जाएगी;

(2) मुलायम लकड़ी (अर्थात्—चीड़ देवदार) नीति अलग से घोषित की जाएगी।

5 संसाधित इमारती लकड़ी

प्रजाति और उद्‌गम का ध्यान किए बिना ही सभी संसाधित इमारती लकड़ी का निर्यात क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिल (बिलों) भूमि सीमा-शुल्क अनुबन्धों के प्रस्तुतीकरण पर बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध के मुक्त रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

6. कोई अन्य मद

6.1 किसी अन्य मद के मामले में, निर्यात के लिए "गुणवत्ता के आधार पर" विचार किया जाएगा। ऐसे आवेदन-पत्र पूरे विवरणों के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (निर्यात प्रभाग) को सीधे ही भेजे जाने चाहिएं।

7. रेलवे स्लीपर

उपर्युक्त कंडिकाओं में दी गई व्यवस्था के बावजूद किसी किस्म की इमारती लकड़ी के स्लीपरों का निर्यात स्वीकृत नहीं किया जाएगा किन्तु उस सीमा और प्रजाति को छोड़कर जिसके लिए भारतीय रेलवे सहमत हो। आवेदनपत्रों पर (गुणवत्ता के आधार पर) विचार किया जाएगा। ऐसे आवेदन-पत्र पूरे विवरणों के साथ मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (निर्यात प्रभाग) को सीधे ही भेजे जाने चाहिएं।

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Deptt. of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 28—ETC(PN)/78

New Delhi, the 19th May, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

Sub: Export Policy of wood and timber for the period April 1978—March, 1979.

F. No. 6/1/78-E-I:—Attention is invited to S.No. 33 of Part A and S.No. 60 of Part B of Schedule I to E(C)O, 1977. The export of wood and timber will be regulated in the manner indicated in the following paragraphs.

2. For the purpose of Export Policy of Wood and Timber, the following definitions will be adopted:

(i) Timber means logs, rough squared or in the round including stumps;

(ii) Stump means the base of a tree and its roots left in the ground after felling;

(iii) Sawn timber means, beams, planks, reepers, rafters, fence posts or poles, sleepers or scantlings fashioned from timber, whether seasoned or not, in the round or dressed conditions, whatever be the manner of sawing as laid down in the Indian Standards Specification No. 707-1776;

(iv) Processed timber will include veneer or veneer based products, namely, plywood, chip board, fibre board. Veneer is defined as sliced, peeled or sawn sheet of timber with thickness not exceeding 6 mm. Other processed timber will include standard door and window frames and knocked down parts of furniture; and

(v) Burrs are protruberances on the base or trunk of a tree caused by physical injury or by insect of fungal infection.

3. Timber for the purpose of export would mean that with midgirth or perimeter not less than 90 cm. and length of one metre and above.

HARD WOOD :

3.1 Export of the following species will be allowed freely by the licensing authorities by licensing endorsements on presentation of the shipping bills/Land Customs Appendices:

S. No.	Variety of Timber	
	Trade Name	Botanical Name
1	2	3
1.	Asan	Terminalia tomentosa
2.	Aini	Artocarpus hirusta
3.	Bellapine	Vetira Indica
4.	Benteak	Lagerstroemia Lancaolata
5.	Biasal	Pterocarpus marsupium
6.	Birch	Betula spp.
7.	Bird Cherry	Prunus padum
8.	Bola	Morous laevigata
9.	Champ	Michelia spp.
10.	Chaplash	Artocarpus Chaplasa
11.	Haldu	Adina cordiolia
12.	Irul	Xylia xylocarpa
13.	Kasi	Bridelia retusa
14.	Kiko	Albizia lebbek
15.	Kumbi	Careya arborea
16.	Lall	Amoora wallichii
17.	Makai	Shorea assamica
18.	Maple	Accer spp. (other than burrs and stumps).
19.	Rhododendron	Rhododendron spp.
20.	—	Temperate and sub-spillne hardwood spp. in the Himalayan reglon.
21.	White Cedar	Dysoxylom malabaricum
22.	Yew	Taxus baccata.

3.2 ROSEWOOD (In logs and sawn sizes)—Policy has already been announced.

3.3 Dipterocarpus (Gurjan):—Timber of Andaman and Nicobar origin in log form will be allowed to be exported on production of a No Objection Certificate * from the Chief Conservator of Forests Andaman and Nicobar, to the effect that logs to be exported are surplus and will not be used by the Island and mainland Industries based on Gurjan.

3.4 Walnut (Juglans regia) :—Walnut logs (Juglans regia) other than burrs and stumps will be allowed for export on production of a 'No Objection Certificate ' * from the Chief Conservator of Forests concerned, to the effect that the quantity to be exported is in surplus, after meeting the requirements of local industries.

3.5 Red Sanders (Petrocarpus Santalinus) :—Export will be allowed within a ceiling of 1,000 cubic metres on "first-come, first-served" basis and on production of certificate of origin*. Export of redsanders powder will however, be allowed freely by regional licensing authorities without any quantative restrictions on presentation of shipping bills/Land Customs Appendices.

3.6 Sandal Wood :—Export will be allowed within a ceiling of 1,000 Cubic Metres on "first-come, first served" basis. Export of Sandal wood chips and powder will, however, be allowed freely by regional Licensing authorities without any quantitative restriction on presentation of Shipping bills/Land Customs appendices.

Note : * The relevant 'Certificate of origin' or 'No Objection Certificate' need not necessarily be signed by the Chief Conservator of Forest of the State or the Union Territory, himself. It may be signed by any officer of the Forest Deptt. competent to issue such a certificate under the relevant State or Central Statute applicable to the particular consignment, along with the official seal of such an officer. The certificate should be in the form generally prescribed under the Government rules and procedure of the (issuing) State or the Union Territory.

4. Sawn Timber :

4.1 Sawn timbor exceeding crores sectional dimensions of 300 sq. cm. shall not be allowed to be exported.

4.2 Sawn timber of any of the following species shall not be allowed to be exported, irrespective of the cross sectlonal dimensions :—

(i) Sawn burrs and stumps of Acccr spp. (Maple) ;

(ii) Bombax malabaricum (Semal) ;

(lii) Morusspp (Mulberry) ; and

(lv) Terminalia myriocerpa (Hollock).

4.3 Export of Sawn timber of the following specles shall be regulated as shown against each :—

(l) Teakwood-Policy will be announced separately

(ii) Softwood (namely, Chir & Deodar) Policy will be announced separately.

5. Processed Timber : All processed timber irrespective of the species and origin will be allowed for export freely by the regional licensing authorities without any quantitative restriction on presentation of shipping blll (s)/Land Customs appendices.

6. Any other Item :

6.1 In case of any other items, export will be considered "on merits". These applications should be submitted direct to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Division) with complete details.

7. Railway Sleepers :—Notwithstanding the provision contained in the above paragraphs, export of sleepers of any species of timber shall not be allowed except to the extent and for the species which Indian Railways agree to. Applications will be considered 'on merits'. These applications should be submitted direct to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Division) with complete details.

K.V. SESADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978